(203)

संख्याः 1711 / XVII-2 / 16-19(OBC) / 2016

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

Mr. Balbeer
Pl. n.g
8/3/17
AD/ ... IT cell

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 201~~6~~7

विषयः– अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासकीय/अशासकीय कॉलेजों में मेडिकल/इंजीनियरिंग के अन्तर्गत सभी तकनीकी/व्यावसायिक कोर्सों हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित है, जिसमें उक्त जातियों हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है। उक्त योजनान्तर्गत अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु भारत सरकार से की गयी मांग के अनुसार धनराशि प्राप्त न होने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार पड़ रहा है। तकनीकी शिक्षा विभाग की विभागीय समिति द्वारा अभी तक फीस निर्धारित नहीं की जा सकी है, जिस कारण पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण में विलम्ब हो रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में संचालित सभी विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय कॉलेजों में मेडिकल/इंजीनियनिंग के अन्तर्गत आने वाले सभी तकनीकी/व्यावसायिक कोर्सों हेतु निर्धारित शुल्क विवरण में अत्यधिक असमानता के कारण छात्र–छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति में कतिपय समस्यायें सम्मुख रहती है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार निम्नवत् पाठ्यक्रम संचालित हैं :–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	माता–पिता की वार्षिक आय सीमा
1.	**ग्रुप–I** स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कोर्स, जिनमें एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टरल रिसर्च इन मेडिसन (एलोपेथिक, भारतीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त मेडिसन प्रणाली में) इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, प्लानिंग आर्किटेक्चर, डिजाईन, फैशन टेक्नोलॉजी, कृषि, वेटरिनरी एवं इससे सम्बन्धित विज्ञान, मैनेजमेन्ट, विजनेस फाईनेन्स/ एडमिनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर साईन्स/ एप्लीकेशन। (II) कामर्शियल पाइलट लाईसेंस (हेलीकाप्टर पाईलट एवं मल्टी इंजन रेटिंग सहित) कोर्स	(1) अनुसूचित जाति हेतु ₹ 2.50 लाख। (2) अनुसूचित जनजाति हेतु • कक्षा 9 से 10 ₹ 2.00 लाख तक। • दशमोत्तर पाठ्यक्रम ₹ 2.50 लाख तक। (3) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु ₹ 1.00 लाख

	(III) मैनेजमेन्ट एवं मेडिसन की विभिन्न शाखाओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स।	
	(IV) सी.ए. / आई.सी.ए.डब्लयू.ए. / सी.एस. / आई.सी.एफ.ए. इत्यादि।	
	(V) एम.फिल. पी.एच.डी. एवं पोस्ट डाक्टेरल प्रोग्राम डि.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (अ) वर्तमान में ग्रुप–II में सम्मिलित सभी कोर्स। (ब) वर्तमान में ग्रुप–III में सम्मिलित सभी कोर्स।	
	(VI) एम.एल.एम.	
	ग्रुप–II (I) स्नातक एवं परास्नातक स्तर से सभी कोर्स जो डिग्री समकक्ष है। डिप्लोमा फार्मेसी क्षेत्र में सार्टिफिकेट, (बी.फर्मो), नर्सिंग (बी नर्सिंग), एल. एल.बी.एफ.एस. व अन्य पैरामेडिकल शाखाओं जैसे–रिहेबिलिटेशन, डाईग्नोस्टिक इत्यादि, मास कम्यूनिकेशन, होटल मैनेजमेन्ट, इन्टीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रीशन एवं डाईटेटिक्स, कार्मशियल आर्ट, फायनेनशियल सर्विस (उदाहरणार्थ–बैंकिंग, बीमा टेक्सेशन इत्यादि) जिस हेतु न्यूनतम प्रवेश योग्यता सीनियर सेकेन्डरी (10+2) है। (II) परास्नातक कोर्स जो ग्रुप–I में सम्मिलित नहीं है। उदाहरणार्थ–एम.ए. / एम.एस.सी. / एम. कॉम / एम.एड. / एम.फार्मा. आदि।	
	ग्रुप–III अन्य समस्त समानान्तर स्नातक डिग्री कोर्स जो ग्रुप–I एवं ग्रुप–II में शामिल नहीं है यथा बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.कॉम इत्यादि।	
	ग्रुप–IV समस्त दशमोत्तर स्तर के नान डिग्री कोर्स जिसमें प्रवेश हेतु योग्यता हाईस्कूल (कक्षा 10) यथा–सीनियर सेकेन्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा 11 व 12) सामान्य एवं व्यवसायिक शाखा, आई.टी. आई. कोर्स, पौलिटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आदि।	

2. अतः फीस स्ट्रक्चर में विद्यमान असमानता के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पी.जी.डी.एम. एवं अन्य पाठ्यक्रमों में, जिसका फीस स्ट्रक्चर निर्धारित नहीं है, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को भारत सरकार से अनुमन्य मैन्टेनेन्स अलाउन्स दिये जाने तथा नॉन रिफन्डेबल फीस, जिसको तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है, की प्रतिपूर्ति अशासकीय संस्थानों में भी शासकीय संस्थानों की भांति ही निर्धारित न्यूनतम फीस की सीमा तक ही देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोर्सों में भी वर्तमान वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत

शासकीय संस्थानों की भांति ही अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को फीस का भुगतान किया जायेगा। उत्तराखण्ड के ऐसे विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं, जिनके द्वारा विभिन्न कोर्सों हेतु स्वयं फीस निर्धारण किया जाता है, में भी शासन द्वारा शासकीय शैक्षणिक संस्थानों हेतु निर्धारित की गयी फीस की सीमा तक ही अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को भुगतान किया जायेगा।

3. भारत सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पी.जी.डी.एम. एवं अन्य पाठ्यक्रमों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों/छात्राओं (डेस्कालर/हास्टलर) हेतु निर्धारित शुल्क धनराशि का विवरण संलग्नक–I, II एवं III संलग्न है।

4. उक्त आदेश आगामी शैक्षिक सत्र से प्रभावी माने जायेंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 1711 (1)/XVII–2/16–19(OBC)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

(200)

शासनादेश संख्या–1911 /XVII–2/16–19(OBC)/2016 दिनांक 11 ~~दिसम्बर, 2016~~ जनवरी 2017 का संलग्नक–1

अनुसूचित जाति :–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	दर (प्रतिमाह)		माता–पिता की वार्षिक आय
		डेस्कालर	हास्टलर	
1.	**ग्रुप–I** स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कोर्स, जिनमें एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टरल रिसर्च इन मेडिसन (एलोपैथिक, भारतीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त मेडिसन प्रणाली में) इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, प्लानिंग आर्किटेक्चर, डिजाईन, फैशन टेक्नोलॉजी, कृषि, वेटरिनरी एवं इससे सम्बन्धित विज्ञान, मैनेजमेन्ट, विजनेस फाईनेन्स/एडमिनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर साईन्स/ एप्लीकेशन।	₹ 550/–	₹ 1200/–	₹ 2.50 लाख तक।
	(II) कामर्शियल पाइलट लाईसेंस (हेलीकाप्टर पाईलट एवं मल्टी इंजन रेटिंग सहित) कोर्स			
	(III) मैनेजमेन्ट एवं मेडिसन की विभिन्न शाखाओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स।			
	(IV सी.ए./आई.सी.ए.डब्लयू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. इत्यादि।			
	(V) एम.फिल. पी.एच.डी. एवं पोस्ट डाक्टेरल प्रोग्राम डि.लिट, डी. एस.सी. इत्यादि– (अ) वर्तमान में ग्रुप–II में सम्मिलित सभी कोर्स। (ब) वर्तमान में ग्रुप–III में सम्मिलित सभी कोर्स।			
	(VI) एम.एल.एम.			
	ग्रुप–II (I) स्नातक एवं परास्नातक स्तर से सभी कोर्स जो डिग्री समकक्ष है। डिप्लोमा फार्मेसी क्षेत्र में सार्टिफिकेट, (बी.फर्मा), नर्सिंग (बी नर्सिंग), एल.एल.बी.एफ.एस. व अन्य पैरामेडिकल शाखाओं जैसे–रिहेबिलिटेशन, डाईग्नोस्टिक इत्यादि, मास कम्यूनिकेशन, होटल मैनेजमेन्ट, इन्टीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रीशन एवं डाईटेटिक्स, कार्मशियल आर्ट, फायनेनशियल सर्विस (उदाहरणार्थ–बैंकिंग, बीमा टेक्सेशन इत्यादि) जिस हेतु न्यूनतम प्रवेश योग्यता सीनियर सेकेन्डरी (10+2) है। (II) परास्नातक कोर्स जो ग्रुप–I में सम्मिलित नहीं है। उदाहरणार्थ–एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम/एम.एड./एम.फार्मा. आदि।	₹ 530/–	₹ 820/–	
	ग्रुप–III अन्य समस्त समानान्तर स्नातक डिग्री कोर्स जो ग्रुप–I एवं ग्रुप–II में शामिल नहीं है यथा बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम इत्यादि।	₹ 300/–	₹ 570/–	
	ग्रुप–IV समस्त दशमोत्तर स्तर के नान डिग्री कोर्स जिसमें प्रवेश हेतु योग्यता हाईस्कूल (कक्षा 10) यथा–सीनियर सेकेन्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा 11 व 12) सामान्य एवं व्यवसायिक शाखा, आई.टी.आई. कोर्स, पौलिटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आदि।	₹ 230/–	₹ 380/–	

शासनादेश संख्या–1711/XVII–2/16–19(OBC)/2016 दिनांक 11 ~~दिसम्बर, 2016~~ जनवरी 2017 का संलग्नक–II

अनुसूचित जनजाति :–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	दर (प्रतिमाह) डेस्कालर	दर (प्रतिमाह) हास्टलर	माता–पिता की वार्षिक आय
1.	**ग्रुप–I** स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कोर्स, जिनमें एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टरल रिसर्च इन मेडिसन (एलोपेथिक, भारतीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त मेडिसन प्रणाली में) इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, प्लानिंग आर्किटेक्चर, डिजाईन, फैशन टेक्नोलॉजी, कृषि, वेटरिनरी एवं इससे सम्बन्धित विज्ञान, मैनेजमेन्ट, विजनेस फाईनेन्स/एडमिनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर साईन्स/ एप्लीकेशन।	₹ 550/–	₹ 1200/–	₹ 2.50 लाख तक।
	(II) कामर्शियल पाइलट लाईसेंस (हेलीकाप्टर पाईलट एवं मल्टी इंजन रेटिंग सहित) कोर्स			
	(III) मैनेजमेन्ट एवं मेडिसन की विभिन्न शाखाओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स।			
	(IV)सी.ए./आई.सी.ए.डब्लयू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. इत्यादि।			
	(V) एम.फिल. पी.एच.डी. एवं पोस्ट डाक्टेरल प्रोग्राम डि.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि– (अ) वर्तमान में ग्रुप–II में सम्मिलित सभी कोर्स। (ब) वर्तमान में ग्रुप–III में सम्मिलित सभी कोर्स।			
	(VI) एम.एल.एम.			
	ग्रुप–II (I) स्नातक एवं परास्नातक स्तर से सभी कोर्स जो डिग्री समकक्ष है। डिप्लोमा फार्मेसी क्षेत्र में सार्टिफिकेट, (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी नर्सिंग), एल.एल.बी.एफ.एस. व अन्य पैरामेडिकल शाखाओं जैसे–रिहेबिलिटेशन, डाईग्नोस्टिक इत्यादि, मास कम्यूनिकेशन, होटल मैनेजमेन्ट, इन्टीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रीशन एवं डाईटेटिक्स, कार्मशियल आर्ट, फायनेनशियल सर्विस (उदाहरणार्थ–बैंकिंग, बीमा टेक्सेशन इत्यादि) जिस हेतु न्यूनतम प्रवेश योग्यता सीनियर सेकेन्डरी (10+2) है। (II) परास्नातक कोर्स जो ग्रुप–I में सम्मिलित नहीं है। उदाहरणार्थ–एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम/एम.एड./एम.फार्मा. आदि।	₹ 530/–	₹ 820/–	
	ग्रुप–III अन्य समस्त समानान्तर स्नातक डिग्री कोर्स जो ग्रुप–I एवं ग्रुप–II में शामिल नहीं है यथा बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम इत्यादि।	₹ 300/–	₹ 570/–	
	ग्रुप–IV समस्त दशमोत्तर स्तर के नान डिग्री कोर्स जिसमें प्रवेश हेतु योग्यता हाईस्कूल (कक्षा 10) यथा–सीनियर सेकेन्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा 11 व 12) सामान्य एवं व्यवसायिक शाखा, आई.टी.आई. कोर्स, पौलिटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आदि।	₹ 230/–	₹ 380/–	